लॉबिंग का भारतीय राजनीति पर प्रभाव

अनिता तंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
गवर्नमेंट कॉलेज, कृष्ण नगर, जिला। महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

सारांश

लॉबिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए विभिन्न हित समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और जो लोकतांत्रिक समाजों में सार्वजनिक निर्णयों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लॉबिंग में व्यापार संगठन, एनजीओ और थिंक टैंक जैसे विभिन्न प्रकार के संगठन शामिल हैं, जो अपने–अपने हितों या उद्देश्यों के अनुसार नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। लॉबिंग को अक्सर रिश्वतखोरी के रूप में गलत समझा जाता है जबकि यह बुनियादी रूप से अलग है, क्योंकि यह आम तौर पर सरकारी निर्णयों को पारदर्शी तरीके से प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से संचालित होती है। हालांकि भारत में लॉबिंग को विनियमित या मान्यता देने के लिए कोई औपचारिक कानूनी ढांचा नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में इसे एक मान्यता प्राप्त वैध गतिविधि माना जाता है। भारत में लॉबिंग उद्योग में नियमन की अनुपस्थिति के कारण एक अस्पष्ट माहौल बना रहता है, जहाँ शक्तिशाली समूहों द्वारा डाला गया प्रभाव काफी हद तक बिना निगरानी के होता है।

जहां लॉबिंग कानूनी है, उन देशों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, जो यह देखने में मदद करते हैं कि लॉबिंग सार्वजनिक नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। भारत में इसी तरह के नियामक ढांचे की स्थापना से पारदर्शिता, नैतिक मानदंड और लॉबिंग समूहों के संचालन में स्पष्टता जैसी सुविधाएँ मिल सकती हैं, जिससे नकारात्मक धारणाओं को कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लॉबिंग जिम्मेदारीपूर्वक संचालित हो। लॉबिंग से संबंधित विशिष्ट कानूनों की अनुपस्थिति इसे भारत में अवैध नहीं बनाती है, क्योंकि भारतीय कानून इस मुद्दे पर मौन है। यदि कोई संस्था मौजूदा कानूनों की सीमा के भीतर और सार्वजनिक हित के लिए सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए अभियान चलाती है तो ऐसी गतिविधि को अवैध नहीं माना जाता है।

उदाहरण के लिए पर्यावरणीय नीतियों, सामाजिक कारणों या आर्थिक सुधारों की वकालत करने वाले समूह अक्सर लॉबिंग में शामिल होते हैं, जो गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हुए बिना नीति परिवर्तन के प्रयास करते हैं।

लॉबिंग पर विशिष्ट कानूनों की अनुपस्थिति के बावजूद भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यापार संगठन और एडवोकेसी समूह, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो एक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एक कानूनी ढांचा बनाना लॉबिंग प्रथाओं को मानकीकृत करने, नैतिक चिंताओं को दूर करने और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। निष्कर्षतः भारत में लॉबिंग पर कानूनी स्थिति के विषय में मौन रहने से अनियंत्रित गतिविधियों के लिए जगह बनती है, जिन्हें निरीक्षण और वैधता से लाभ मिल सकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि लॉबिंग अधिक सहभागी और पारदर्शी नीति वातावरण में प्रभावी योगदान दे सकती है, इस कानूनी अंतर को पाटना लॉबिंग को गलत गतिविधियों से अलग करने में मदद कर सकता है और इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक लोकतांत्रिक साधन के रूप में स्थापित कर सकता है।

मुख्यशब्द: राजनीतिक परिवार, वंशवाद, लोकतंत्र, नेतृत्व, चुनाव, सत्ता, राजनीतिक संस्थाएँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जनता का विश्वास, पारिवारिक राजनीति।

भारत में लॉबिंग

जहाँ अमेरिकी और यूरोपीय देशों में लॉबिंग के पेशे को कानूनी मान्यता प्राप्त है, वहीं इस उद्योग के प्रभाव का सक्रिय रूप से अनुभव करने वाले भारत ने लॉबिंग के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा अपनाने के मुद्दे को दूर रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोगों के लिए इसे ''ग्रे जोन'' में रखना अधिक उपयुक्त है। वास्तव में भारत की वास्तविकता को देखते हुए यहाँ लॉबिंग की तुलना रिश्वतखोरी से करना अधिक सरल है क्योंकि अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकारी तंत्र के माध्यम से काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्तता अनिवार्य हो गई है।

भारत में व्यापारिक लॉबिंगः सरकारी नीतियों पर कॉर्पोरेट लॉबिंग का प्रभाव

भारत में लॉबिंग को एक वैध पेशे के रूप में मान्यता देने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जैसा कि अमेरिका, यूके और कई यूरोपीय देशों में देखा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लॉबिंग नहीं होती। लंबे समय से लॉबिंग व्यवसायों, कॉर्पोरेशनों और अन्य हित समूहों के लिए सरकार से संवाद का एक माध्यम रहा है, जिसका उद्देश्य नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करना है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) जैसे संगठन दशकों से अपने सदस्यों के हितों की वकालत करते आए हैं और प्रमुख सरकारी निर्णयों और नीतियों पर प्रभाव डालते रहे हैं। ये समूह भारत की आर्थिक और नियामक नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुले मंचों में सरकारी अधिकारी प्रस्तावित नीतियों और उनके व्यापक सामाजिक लाभों पर चर्चा करते हैं, जहाँ लॉबिस्ट जनभावना और नीतिगत परिवर्तनों के संभावित प्रभावों पर महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सरकार को इस सहभागिता से लाभ होता है क्योंकि लॉबिस्ट विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की चिंताओं और जरूरतों को दर्शाने वाली जानकारी प्रदान करते हैं।

वर्तमान में स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण कई विदेशी और घरेलू कंपनियाँ पारदर्शिता के बिना कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के रूप में कार्य करती हैं। लॉबिंग गतिविधियों के इर्द–गिर्द एक औपचारिक कानूनी ढाँचे की कमी से अस्पष्टता उत्पन्न होती है, जिससे भारत में लॉबिंग को कुछ हद तक अनैतिक माना जाता है। जवाबदेही और निगरानी के लिए स्पष्ट संरचना के बिना लॉबिंग प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। भारत में यह सुनिश्चित करते हुए कि लॉबिंग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक नैतिक और रचनात्मक हिस्सा बन सके, लॉबिंग के लिए एक पारदर्शी कानूनी परिभाषा और ढाँचा स्थापित करना इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

भारत में लॉबिंग की वैधता

भारत में लॉबिंग को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसे आमतौर पर रिश्वतखोरी या राजनीति पर अनैतिक प्रभाव के समान समझा जाता है। लॉबिंग पर स्पष्ट कानूनी नियमों

की अनुपस्थिति को इसकी अमर्यादितता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। लॉबिंग को वैध रूप देने और इस पर संदेह दूर करने के लिए पारदर्शी कानूनों की आवश्यकता है। लॉबिंग को कानूनी मान्यता देने से खुलापन और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एजेंसियों को पश्चिमी देशों की तरह अपने निवेश और खर्चों का खुलासा करना होगा। इस पारदर्शिता से जनता को यह समझने में आसानी होगी कि लॉबिंग कैसे सरकारी नीतियों को आकार देती है।

इसके अलावा इन खुलासों से शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को विधायी प्रक्रिया की समझ में मदद मिल सकती है, जिससे वे किसी नीति की यात्रा को इसके प्रारंभिक चरण से कानून बनने तक ट्रेस कर सकते हैं। लॉबिंग एक आवश्यक विधायी संसाधन के रूप में भी कार्य करती है क्योंकि हर मुद्दे पर किसी विधायक का पूरी तरह से जानकार होना असंभव है। जानकारीपूर्ण लॉबिंग के माध्यम से विशेषज्ञ बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे विधायकों को जनकल्याण के लिए संतुलित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

भारत में लॉबिंग का कलंकः धारणाएँ और वास्तविकताएँ

भारत में लॉबिंग को अक्सर एक संदिग्ध प्रथा के रूप में देखा जाता है, जिसे भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभाव, और हेरफेर से जोड़ा जाता है। मीडिया में अक्सर लॉबिस्टों को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जो सार्वजनिक हितों की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों को लाभ पहुँचाने के लिए अपने संपर्कों का प्रयोग करते हैं। यह नकारात्मक धारणा उच्च–प्रोफाइल घोटालों, जैसे कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी, और अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले से उत्पन्न हुई है, जहाँ लॉबिंग को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नियामक खामियों से जोड़ा गया था।

कई भारतीयों के लिए, ''लॉबिंग'' शब्द ''लाइसेंस राज'' की यादें ताजा कर देता है, जो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का दौर था। उस समय गुप्त सौदों और प्रभाव के दुरुपयोग की कहानियाँ आम थीं। इस संबंध ने लॉबिंग के चारों ओर एक गहरा कलंक पैदा कर दिया है, जिससे इसे अक्सर रिश्वतखोरी या अनैतिक व्यवहार के समान माना जाता है।

हालाँकि यह दृष्टिकोण उस रचनात्मक भूमिका को नजरअंदाज करता है जो लोकतांत्रिक समाज में लॉबिंग निभा सकती है, जहाँ यह नीति निर्माताओं को विभिन्न हित समूहों से अंतदृ ष्टि, जानकारी और फीडबैक प्रदान कर सकती है। आगे बढ़ने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि नैतिक लॉबिंग और भ्रष्ट प्रथाओं के बीच अंतर किया जाए और पारदर्शिता और विनियमन के लाभों को पहचाना जाए।

भारत में उच्च–प्रोफाइल घोटालेः अनियमित लॉबिंग का काला पक्ष

भारत में अनियमित लॉबिंग का अनुभव विवादों, घोटालों और उच्च–प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों से भरा रहा है, जिसने लॉबिंग को एक नकारात्मक गतिविधि के रूप में देखने की धारणा को मजबूत किया है। औपचारिक नियमों की अनुपस्थिति में लॉबिंग अक्सर पर्दे के पीछे संचालित होती है, जहाँ प्रभावशाली समूह अपने संपर्कों का उपयोग करके सरकारी निर्णयों को कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। इस पारदर्शिता की कमी ने व्यापक रूप से यह धारणा बना दी है कि लॉबिंग रिश्वतखोरी, अनैतिक प्रभाव और शोषण के बराबर है।

महत्त्वपूर्ण घोटालों, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा ने अनियमित लॉबिंग के खतरों को उजागर किया है और इसे विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया है।

भोपाल गैस त्रासदीः सार्वजनिक सुरक्षा पर कॉर्पोरेट प्रभाव

भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे विनाशकारी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से गैस रिसाव के कारण 3,000 से अधिक लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित हुए। बाद में यह खुलासा हुआ कि यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार पर अपनी देयता को कम करने और सुरक्षा नियमों को कमजोर करने के लिए लॉबिंग की थी। कंपनी ने इस बात का प्रभाव डाला कि वह भारत में बिना कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किए काम कर सके, जिससे लागत में बचत हो सके, भले ही इसका असर जनकल्याण पर पड़े।

यह त्रासदी दर्शाती है कि जब कॉर्पोरेट लॉबिंग पर नियंत्रण नहीं होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यूनियन कार्बाइड ने नियामक ढांचे को दरकिनार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस तरह की घटना के जोखिम को कम कर सकता था। निगरानी की कमी ने कंपनी के लाभ को प्राथमिकता देने की अनुमति दी, भले ही इसका परिणाम कर्मचारियों और आस–पास के निवासियों की सुरक्षा के लिए घातक हो। इस दुर्घटना ने पूरे देश को गहरा आघात पहुँचाया और यह धारणा प्रबल हुई कि लॉबिंग का उपयोग कंपनियाँ जवाबदेही से बचने और नैतिक दायित्वों से किनारा करने के लिए करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक गंभीर चेतावनी है कि जब सार्वजनिक सुरक्षा दांव पर होती है, तो अनियमित लॉबिंग के संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जी स्पेक्ट्रम घोटाला: कीमती संसाधनों का दुरुपयोग

भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने यह उजागर किया कि कैसे लॉबिंग के माध्यम से सीमित संसाधनों का वितरण निजी हितों के लाभ के लिए किया जा सकता है। 2008 में भारतीय सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसों की नीलामी बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर की, जिससे कथित तौर पर कुछ विशेष कंपनियों को लाभ हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि कॉर्पोरेट लॉबिस्टों ने सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालते हुए इन लाइसेंसों को रियायती दरों पर सुरक्षित किया, जिससे सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपये (लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर) का भारी राजस्व नुकसान हुआ।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने लॉबिंग के काले पक्ष को उजागर किया, जहाँ कॉर्पोरेट इकाइयों ने उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर अनुचित लाभ प्राप्त किए। इस घोटाले ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाया बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुँचाई, जो सरकार के राष्ट्रीय संसाधनों का निष्पक्ष प्रबंधन करने की क्षमता पर आधारित था। यह मामला दिखाता है कि बिना नियामक निगरानी के, लॉबिंग आर्थिक दुरुपयोग का उपकरण बन सकती है, जिससे कुछ प्रभावशाली कंपनियाँ सार्वजनिक धन की कीमत पर लाभ उठा सकती हैं। इस घोटाले ने शक्ति के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शी लॉबिंग ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला: पक्षपात और भ्रष्टाचार

2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने भारत में अनियमित लॉबिंग के खतरों को और स्पष्ट किया। यह आयोजन भारत की वैश्विक मंच पर क्षमता को दिखाने के उद्देश्य से था लेकिन यह भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों में उलझ गया। कई कंपनियों पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर लॉबिंग कर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जो अक्सर बढ़े हुए दामों पर और न्यूनतम निगरानी के साथ दिए गए। इस घोटाले में रिश्वतखोरी, बढ़े हुए बजट और खरीद प्रक्रियाओं में हेरफेर शामिल था, जिसमें लॉबिस्टों ने अपने ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम हासिल करने में मदद की।

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने दिखाया कि कैसे लॉबिंग पक्षपात को बढ़ावा दे सकती है, जहाँ अनुबंध उन कंपनियों को दिए गए जो गुणवत्ता या क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि निर्णयकर्ताओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर थे। इस प्रक्रिया ने न केवल सेवाओं और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि करदाताओं के धन की बर्बादी भी की। इस घोटाले के नकारात्मक प्रभाव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया और बिना जवाबदेही के किए गए लॉबिंग के खतरों को उजागर किया। इसने उस धारणा को भी मजबूत किया कि भारत में लॉबिंग अक्सर छुप–छुप कर की जाती है, जहाँ कंपनियाँ निजी लाभ के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करती हैं और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का शोषण होता है।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी और कमीशन

2012 में सामने आया अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला वीआईपी परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था। भारत ने 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इटली की रक्षा कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह सौदा तब रद्द कर दिया गया जब यह खुलासा हुआ कि इस अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए कमीशन दिया गया था। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में लॉबिस्टों ने अनुबंध वार्ताओं को प्रभावित करने और खरीद प्रक्रिया में हेरफेर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अगस्ता वेस्टलैंड का चयन सुनिश्चित हो सके।

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले ने यह दिखाया कि कैसे लॉबिंग उच्च जोखिम वाले रक्षा अनुबंधों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है, जिससे राष्ट्रीय हितों पर खतरा उत्पन्न होता है। इस मामले में आरोप है कि लॉबिस्टों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर मानक खरीद प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया, जिससे उनके ग्राहकों के हितों को उचित प्रक्रिया पर प्राथमिकता मिली। इस मामले से जुड़े खुलासों ने यह भी उजागर किया कि रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लॉबिंग से जुड़े खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ दांव ऊँचे होते हैं और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ काफी अधिक होती हैं। यह घोटाला लॉबिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करता है, विशेषकर तब जब इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम वाली अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजियाँ शामिल हों।

लाइसेंस राज की विरासतः गुप्त प्रभाव का एक संस्कार

भारत में अनियमित लॉबिंग के संघर्ष को ''लाइसेंस राज'' के युग से जोड़ा जा सकता है, जो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का प्रतीक था। इस अवधि के दौरान कंपनियों को कार्य संचालन के लिए परमिट और लाइसेंस के जटिल जाल में गुजरना पड़ता था, जिससे "एक्सेस पॉलिटिक्स" या पहुँच–नीति की संस्कृति का निर्माण हुआ, जहाँ लॉबिस्ट या मध्यस्थ प्रभावशाली शक्ति का इस्तेमाल करते थे। इस माहौल ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहाँ पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी, रिश्वतखोरी और प्रभाव का दुरुपयोग आम हो गया क्योंकि कंपनियाँ प्रशासनिक बाधाओं को दरकिनार करने की कोशिश में लगी रहीं। इसने वर्तमान समय में भारत में लॉबिंग को एक अनैतिक प्रथा के रूप में देखने की धारणा को जन्म दिया है, जिसे भ्रष्टाचार और हेरफेर से जोड़ा जाता है। ''लाइसेंस राज'' के दौरान पनपी इस प्रभाव की संस्कृति ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, जिसके कारण लॉबिंग को अक्सर रिश्वत और पक्षपात का पर्याय माना जाता है। यह इतिहास पारदर्शिता और नियमन के महत्त्व को रेखांकित करता है, ताकि वैध लॉबिंग (जहाँ समूह अपने हितों की वैध वकालत करते हैं) और गुप्त प्रभाव, जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नीति निर्णयों में हेरफेर करने का प्रयास करता है, के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके।

नियामक ढांचे की आवश्यकता: पारदर्शिता और जवाबदेही

ये उच्च–प्रोफाइल घोटाले इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में लॉबिंग के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। बिना किसी नियमन के लॉबिंग अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है, जहाँ प्रभावशाली समूह बिना किसी जवाबदेही के सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। एक पारदर्शी लॉबिंग ढाँचे में यह आवश्यक होगा कि लॉबिस्ट अपना पंजीकरण कराएँ, अपने खर्चों का खुलासा करें और नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करें जिससे लॉबिंग गतिविधियों को खुले तौर पर संचालित किया जा सके।

एक कानूनी ढांचा वैध वकालत और अनैतिक प्रभाव के बीच अंतर करने में मदद करेगा, जिससे नीति–निर्माता व्यक्तिगत संबंधों के बजाय विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। यह जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लॉबिस्ट अपने ग्राहकों का पारदर्शिता के साथ प्रतिनिधित्व करें और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का हर प्रयास दस्तावेजित हो और सार्वजनिक जांच के लिए खुला हो। लॉबिंग का नियमन कर भारत भ्रष्टाचार के जोखिम को कम कर सकता है और विभिन्न हित समूहों (छोटे संगठनों और एनजीओ सहित) के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कर सकता है जहाँ वे खुले तौर पर भाग ले सकें।

निष्कर्ष: लॉबिंग को उजाले में लाना

भारत में अनियमित लॉबिंग से जुड़े घोटाले यह दर्शाते हैं कि इस प्रकार के प्रभाव को बिना रोक–टोक के संचालित करने के क्या जोखिम हो सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा इस बात की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार लॉबिंग का उपयोग सार्वजनिक कल्याण की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। ये मामले यह दर्शाते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव में लॉबिंग आसानी से नैतिक सीमाओं को पार कर सकती है और भ्रष्टाचार, पक्षपात और हेरफेर का एक साधन बन सकती है।

भारत में लॉबिंग के लिए एक कानूनी ढांचे की स्थापना आवश्यक है ताकि इन गतिविधियों को अंधेरे से बाहर लाया जा सके। ऐसे नियम लागू करके जो पारदर्शिता, जवाबदेही और

नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हैं, भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सकारात्मक हिस्सा बना सकता है। एक विनियमित लॉबिंग वातावरण से हितधारकों को अपने हितों की खुलेआम वकालत करने का अवसर मिलेगा, जिससे नीति–निर्माताओं को सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखते हुए मूल्यवान दृष्टिकोण मिल सकेंगे। लॉबिंग को वैधता प्रदान करने से इसके साथ जुड़ा नकारात्मक कलंक भी कम हो सकता है, जहाँ गुप्त प्रभाव की बजाय पारदर्शी वकालत पर ध्यान केंद्रित हो सके।

संदर्भ

1. चंद्रा, कंचन (2013), डेमोक्रेटिक डाइनेस्टीजः स्टेट, पार्टी और फैमिली इन कंटेम्परारी इंडियन पॉलिटिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. वैशनव, मिलन, और सिरकार, नीलांजन (2013), भारतीय लोकतंत्र में कॉर्पोरेट प्रभावः लॉबिंग गतिविधियों का विश्लेषण, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस।
3. जैफरलोट, क्रिस्टोफ (2006), भारत की मूक क्रांतिः उत्तर भारत में निम्न जातियों का उदय , कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. बोलकेन, अंजलि टी., और चौचर्ड, साइमन (2009), भारत में राजनीतिक वंशों पर शोध, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
5. तुल्ली, मार्क (2011), इंडिया इन स्लो मोशन, पेंगुइन बुक्स।
6. चिब्बर, प्रणव और वर्मा, राहुल (2012), आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटीः द चेंजिंग पार्टी सिस्टम्स ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. रुपरेलिया, संजय (2012), डिवाइडेड वी गवर्नः कोएलिशन पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (ब्वै) (2010), राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण, लोकनीति–ब्वै।
9. भारतीय संसद (2011), लॉबिंग के लिए नियामक ढांचे पर रिपोर्ट, लोकसभा सचिवालय।

10. अरुणाचलम, के. एस. (2010), पॉलिटिकल लॉबिंग इन इंडिया, सीजीडब्ल्यू पब्लिशिंग।

11. गिल, बी. एस. (2009), द इकॉनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिकल लॉबिंग, जयपुरः रावत प्रकाशन।

12. मिश्रा, वी. एन. (2012), लोकतंत्र में लॉबिंग और नैतिकता, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद।

13. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (2013), भारत में लॉबिंगः नीति और नैतिकता, नई दिल्ली।

14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2008), भारत में सुशासन और पारदर्शिता, नई दिल्ली।

15. कुमार, आर. (2009), भारतीय लोकतंत्र में लॉबिंग की भूमिका, एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस।

16. एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (2011), भारत में लॉबिंग के लिए नीति सिफारिशें।

17. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (2012), भारत में लॉबिंग के मानक और व्यवहार।

18. मिश्रा, अंशिका. (2013). लॉबिंग की भूमिकाः भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता. समाज और राजनीति जर्नल, 17(4), 145–158.